लिंग पहचान एवं नौकरशाही बाधा

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर 2 (राजनीति एवं शासन):**
  मौलिक अधिकार, न्यायिक हस्तक्षेप, नौकरशाही की भूमिका, हाशिए पर पड़े वर्गों के अधिकार।
- **जीएस पेपर 1 (समाज):**
  लैंगिक समानता, ट्रांसजेंडर अधिकार, सामाजिक न्याय के मुद्दे।
- **निबंध पेपर:**
  समानता, नौकरशाही सुधार, सामाजिक न्याय जैसे विषय।
  निबंध के लिए महत्वपूर्ण कथन:
  "एक लोकतंत्र की ताकत प्रगतिशील कानून बनाने में नहीं, बल्कि उन्हें ज़मीनी स्तर पर लागू करने में है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर का संघर्ष इस सच्चाई को दर्शाता है।"

समाचार में क्यों?

मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि **वह ट्रांसजेंडर महिला डॉ. बेयोंसी लैश्रम को नए शैक्षणिक प्रमाणपत्र जारी करे।** विदित है कि यह काम महज़ दस्तावेज़ों में एक साधारण सुधार होना चाहिए था, लेकिन इसके लिए उन्हें लंबी और थकाऊ कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। यह मामला स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत में ट्रांसजेंडर पहचान को भले ही कानूनी मान्यता मिल चुकी हो, लेकिन सरकारी कागज़ी प्रक्रिया में उसका क्रियान्वयन अब भी बेहद धीमा और जटिल है।

पृष्ठभूमि: डॉ. बेयोंसी लैश्रम और भारत में ट्रांसजेंडर अधिकार

- **डॉ. बेयोंसी लैश्रम** को मणिपुर की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने इंफाल स्थित रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ (RIMS) से MBBS की पढ़ाई पूरी की और एक रूढ़िवादी समाज में सेवा करते हुए अनेक पूर्वधारणा को तोड़ने में सफलता पायी है।
- हालांकि उन्होंने पेशेवर रूप से सफलता तो पाई, लेकिन उनकी शैक्षणिक और पहचान संबंधी रिकॉर्ड उनके लिए बाधा बन गए। उनके प्रमाणपत्रों में अब भी जन्म के समय दी गई पुरुष पहचान दर्ज थी, जो उनकी वर्तमान लैंगिक पहचान से मेल नहीं खाती थी।

Punishing process: On gender identity recognition

Gender identity recognition must not be trapped in bureaucratic hurdles

Updated - August 21, 2025 11:12 am IST

READ LATER PRINT

The Manipur High Court's order to the State to issue fresh academic certificates to Beoncy Laishram is at once a matter of individual justice and a larger commentary on the state of transgender rights. What should have been a simple administrative correction became a legal battle, not because the law lacks provisions but because its implementation remains frustrated by inertia and bureaucratic rigidity. In NALSA vs Union of India, the Supreme Court recognised the right to self-identify gender and ordered the state to treat transpersons as socially and educationally backward classes entitled to welfare measures. The principle was codified in the Transgender Persons (Protection of Rights) Act 2019,

- वर्तमान समय में जब उन्होंने महिला पहचान के साथ नए प्रमाणपत्रों की मांग की, तो विश्वविद्यालय ने इनकार कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि इसके लिए पहले उन्हें अपने सभी पुराने स्कूल और कॉलेज रिकॉर्ड बदलवाने होंगे। यह प्रक्रिया इतनी जटिल और नौकरशाही से भरी थी कि यह लगभग असंभव बन गई।

- आखिरकार, उनके पास मणिपुर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अंत: जो काम एक साधारण सुधार होना चाहिए था, वह गरिमा और पहचान की लंबी कानूनी लड़ाई बन गया।

भारत में मौजूद ट्रांसजेंडर अधिकार

डॉ. लैश्रम का मामला कानूनी अधिकारों और उनके प्रशासनिक क्रियान्वयन के बीच एक स्पष्ट अंतर को दिखाता है। हालाँकि भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पहले से मजबूत सुरक्षा प्रावधान मौजूद हैं जैसे:

1. **नालसा बनाम भारत संघ (2014):**
   - सर्वोच्च न्यायालय ने **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को "तीसरे लिंग"** के रूप में मान्यता दी।
   - इसके तहत **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को** सरकार द्वारा आरक्षण और कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लैंगिक पहचान गरिमा, समानता और स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा है।

2. **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019:**
   - यह कानून ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान को मान्यता देने के लिए एक विधिक ढांचा स्थापित करता है।
   - यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं में किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषिद्ध करता है। विशेष रूप से, धारा 7 व्यक्ति की **आत्म-स्वीकृत लैंगिक पहचान** के अधिकार की गारंटी देती है।

   - अधिनियम यह भी सुनिश्चित करता है कि **आधार, पासपोर्ट और शैक्षणिक प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज़ व्यक्ति की चुनी हुई पहचान के अनुरूप फिर से जारी** किए जाएं, ताकि उनकी पहचान कानूनी रूप से मान्य और सम्मानजनक रूप में स्थापित हो सके।

3. **संवैधानिक प्रावधान:**
   - **अनुच्छेद 14** – कानून के समक्ष समानता का अधिकार।
   - **अनुच्छेद 15 और 16** – लिंग के आधार पर भेदभाव वर्जित, जिसे अब लैंगिक पहचान तक विस्तारित किया गया है।
   - **अनुच्छेद 19(1)(a)** – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें लैंगिक अभिव्यक्ति भी शामिल है।
   - **अनुच्छेद 21** – गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, जो लैंगिक पहचान को व्यक्तिगत स्वायत्तता का हिस्सा मानता है।

ये सभी कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपाय मिलकर **डॉ. लैश्रम को अपने प्रमाणपत्रों** में सुधार की पूरी वैधता और अधिकार प्रदान करते हैं। फिर भी, उनका मामला यह दर्शाता है कि कैसे नौकरशाही की बाधाएं इन अधिकारों के सहज और सम्मानजनक उपयोग में अब भी रोड़े अटका रही हैं।

कानूनी और संवैधानिक समर्थन के बावजूद डॉ. बेयोंसी लैश्रम को अनेकों समस्या का सामना करना पड़ रहा है जैसे :

नौकरशाही बनाम पहचान

- डॉ. लैश्रम का मामला भारत में एक गहरे प्रणालीगत संकट की ओर इशारा करता है, जहाँ नौकरशाही प्रक्रिया व्यक्तिगत पहचान से अक्सर टकरा जाती है।

कठोर प्रक्रियाएं:

- अधिकतर प्रशासक इस बात पर ज़ोर देते हैं कि सभी दस्तावेज़ों में क्रमवार सुधार हो — पहले 10वीं, फिर 12वीं, फिर कॉलेज और अंत में विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड।
- यह तरीका ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने की प्रक्रिया को या तो बेहद धीमा कर देता है या पूरी तरह रोक देता है।

द्वैतीय सोच (Binary Thinking):

- अधिकारियों का नज़रिया अभी भी जन्म प्रमाणपत्रों के आधार पर **केवल पुरुष या महिला तक सीमित रहता है।**
- वे यह समझने में असफल रहते हैं कि लिंग पहचान आत्म-निर्धारित होती है और उसे पुराने दस्तावेज़ों पर आधारित नहीं होना चाहिए।

कानून की भावना का उल्लंघन:

- जहाँ अधिकारियों को गरिमा और समानता की रक्षा करनी चाहिए, वहाँ वे प्रक्रियागत तकनीकी अड़चनों की आड़ लेकर मूल उद्देश्य से मुंह मोड़ लेते हैं।
- परिणामस्वरूप, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी मूल पहचान की मान्यता पाने के लिए न्यायालय का रुख करना पड़ता है, जो अपने आप में एक अन्याय है।

संक्षेप में कहा जाए तो, नौकरशाही लिंग पहचान को एक दस्तावेज़ी प्रक्रिया मानती है, न कि एक मौलिक अधिकार।

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

डॉ. लैश्रम के मामले में न्यायिक हस्तक्षेप:

- मणिपुर हाई कोर्ट ने डॉ. लैश्रम के अधिकारों की रक्षा करते हुए हस्तक्षेप किया और विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वह उनकी लिंग पहचान के अनुरूप नए प्रमाणपत्र जारी करे।
- अदालत ने यह स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत नियम संविधान प्रदत्त अधिकारों के ऊपर नहीं हो सकते। न्यायालय ने यह भी कहा कि लिंग पहचान किसी दस्तावेज़ से नहीं, बल्कि व्यक्ति कीआत्म-परिभाषासे निर्धारित होती है।
- यह फैसला न केवल डॉ. लैश्रम के लिए न्याय सुनिश्चित करता है, बल्कि अन्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भी एक मिसाल कायम करता है, जिससे वे बिना लंबी कानूनी लड़ाई लड़े अपनी पहचान को मान्यता दिलाने की माँग कर सकें।

इस फैसले के तहत दिए गये सन्देश

- डॉ. लैश्रम का मामला भारत में एक व्यापक समस्या की ओर संकेत करता है,जैसा कि आज भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज, रोज़गार और संस्थानों में भेदभाव और कलंक का सामना करना पड़ता है।

- वर्तमान में भी स्पष्ट क्रियान्वयन का अभाव है: देश में कानून और अधिकार भले ही मौजूद हों, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अक्सर इसे नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपने पहले से सुनिश्चित कानूनी अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसमें समय, धन और **मानसिक ऊर्जा** का खपत होना शामिल है, और यह सब केवल इसलिए कि सिस्टम उन्हें आसानी से वह अधिकार देने के लिए तैयार नहीं होता।
- कठोर नौकरशाही इस समस्या को और जटिल बना देती है, क्योंकि अधिकारी अक्सर प्रक्रियागत बहानों का सहारा लेकर इन अधिकारों तक पहुंच को रोकते हैं, न कि उसे सुलभ बनाते हैं।

परिणाम यह होता है कि जब तक न्यायालय हस्तक्षेप न करे, तब तक संवैधानिक अधिकार केवल कागज़ों तक ही सीमित रह जाते हैं।

IAS-PCS Institute

आगे की राह

संस्थागत सुधार:

- भारत में लिंग पहचान को सरकारी दस्तावेज़ों में अपडेट करने के लिए एकल-खिड़की प्रणाली (single-window system) की आवश्यकता है।
- सरकार को स्पष्ट परिपत्र (circulars) जारी करने चाहिए, जो विश्वविद्यालयों, शिक्षा बोर्डों और सरकारी कार्यालयों को इस प्रक्रिया में मार्गदर्शन दें। साथ ही, इन परिवर्तनों को लागू करने में देरी या अस्वीकृति के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाए।

नौकरशाही में सांस्कृतिक बदलाव:

- अधिकारियों को लैंगिक विविधता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए।
- लिंग पहचान को केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव और वास्तविकता के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। नौकरशाही को द्वैतीय सोच (binary-only mindset) से बाहर निकलकर समावेशिता की दिशा में आगे बढ़ना होगा।

Result Mitra रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

न्यायिक निगरानी:

- हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का देशभर में समान रूप से क्रियान्वयन हो।
- डॉ. लैश्रम के मामले में दिया गया यह फैसला, लिंग पहचान की मान्यता हेतु राष्ट्रीय स्तर पर दिशानिर्देश (national guidelines) बनाने की एक मजबूत आधारशिला बन सकता है।

निष्कर्ष

मुख्यत: डॉ. बेयोंसी लैश्रम का मामला केवल किसी एक व्यक्ति के संघर्ष की कहानी नहीं है, यह भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा रोज़ाना लड़े जाने वाले संघर्ष का प्रतीक है। यद्यपि न्यायपालिका ने उनके अधिकारों को मान्यता दी है, लेकिन न्याय तभी सच्चा होगा जब नौकरशाही की सोच में भी बदलाव आएगा।अंत: **वास्तविक न्याय** तभी संभव है जब **आत्म-परिभाषित लिंग पहचान** को सभी संस्थागत रिकॉर्ड्स में बिना किसी न्यायिक लड़ाई के सहज रूप से मान्यता दी जाए।

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न:

प्र.भारत में लिंग पहचान की मान्यता संविधान और वैधानिक कानूनों द्वारा सुनिश्चित की गई है, फिर भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को गंभीर नौकरशाही बाधाओं का सामना करना पड़ता है। **कानूनी प्रावधानों, कार्यान्वयन की चुनौतियों और प्रभावी मान्यता सुनिश्चित करने के उपायों** पर चर्चा कीजिए।

(15 अंक, 250 शब्द)

IAS-PCS Institute
Result Mitra

IAS-PCS Institute

Result Mitra

रिजल्ट का साथी

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806